न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
61 / 2021 / वाद पत्र	18.08.2021	28.02.2024

उनवान

रामलाल बैरवा पुत्र भैरूलाल चमार निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
2. देबीलाल पुत्र भैरूलाल चमार निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
3. रामगोपाल पुत्र भैरूलाल चमार निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धार 88–89 आरटीए

उपस्थित:– श्री कमेलश कुमार मुण्डेतिया :– अभिभाषक – वादी

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम फूलिया खुर्द पटवार हल्का फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा की जामबंदी संवत् 2076 से 2078 खाता सं. 205 आराजी सं. 387 रकबा 0.66 है0, 388 रकबा 0.60 है0 किता 2 रकबा 1.26 है0, खाता सं. 183 आराजी नम्बर 1591 रकबा 0.05 है0 किता 1 रकबा 0.05 है0, खाता सं. 446 आराजी नम्बर 1372 रकबा 0.09 है0, 1373 रकबा 0.12 है0, 1374 रकबा 0.26 है0, 1390 रकबा 0.08 है0, 2441 रकबा 0.04 है0 किता 5 रकबा 1.15 है0, खाता सं0 429 अराजी नम्बर 1131 रकबा 0.22 है0, 1132 रकबा 0.20 है0, 1178 रकबा 0.13 है0, 1599 रकबा 0.09 है0, 2450 रकबा 0.15 है0, 2584 रकबा 0.33 है0, 2593 रकबा 0.09 है0, 2628 रकबा 0.18 है0, 2629 रकबा 0.10 है0, 2630 रकबा 0.08 है0, 2631 रकबा 0.17 है0, 2658 रकबा 0.08 है0, 2859 रकबा 0.10 है0, 2862 रकबा 0.11 है0, 2863 रकबा 0.22 है0, 2876 रकबा 0.46 है0, 2877 रकबा 0.48 है0, 711 रकबा 1.20 है0, 908 रकबा 0.29 है0, 927 रकबा 0.20 है0 रकबा 20 रकबा 4.88 है0 में वादी व प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 के संयुक्त खातेदारी की आरजियात है। जिसमें वादी का नाम मिश्रीलाल दर्ज है। वाद के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात में वादी व प्रतिवादीगण 2 व 3 के साथ अन्य सह खातेदारान का भी नाम दर्ज है लेकिन अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई दाद नहीं चाहने के कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। मात्र विरासतन से खोले गये खाते में गलती होने से वादी व प्रतिवादीगण नं. 2 व 3 को अनुसार पक्षकारान बनाया जाकर यह वाद पेश किया जा रहा है। वादी व प्रतिवदीगण की पैरा नं. 1 में वर्णित सामलाती आराजियात में तथा वादी व प्रतिवादी नं. 2 व 3 के पिता भैरूलाल चमार की मृत्यु होने के बाद विरासत से खाता वादी व प्रतिवादी नं. 2 व 3 के नाम खोला गया उस समय वादी नाबालिग होने के कारण व गांव व घर में प्रचलित नाम मिश्रीलाल होने से विरासत से खाता खालते समय गांव के लोगो के कहे अनुसार वादी के पिता भैरूलाल की मृत्यु के बाद खोले गये खाते में वादी का नाम रामलाल के बजाय मिश्रीलाल दर्ज करा दिया व अन्य भाई यानि प्रतिवदीगण का नाम सही दर्ज कराया गया। इसलिए वादी विरासत से खोले गये खाते में अपने नाम को दुरूस्त कराकर मिश्रीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज कराने हेतु घोषणा का यह वाद पेश किया है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य भी पहचान पत्र आदि में वादी का नाम रामलाल दर्ज किया हुआ है। इसलिए राजस्व रेकार्ड में मिश्रीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज किया जाना न्याय संगत है। क्यों कि सभी सरकारी दस्तावेज में रामलाल दर्ज होने के कारण व पुश्तैनी आराजियात के खाते में मिश्रीलाल दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली सरकारी सहायताएं वादी को नहीं मिल पर रही है व बैंक आदि से के.सी.सी. या श्रण भी नहीं

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज)

मिल पा रहा है। इसलिए खातेदारी में नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं. 01 में वर्णित आराजियात का वादी को रामलाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित कर इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड में मिश्रीलाल के बजाय रामलाल पिता भैरूलाल चमार दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे जिसकी पालना प्रतिवादी नं. 1 से कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 द्वारा इ इकबाली जवाब दावा पेश किया। दिनांक 28.02.2024 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। एवं अभिभाषक वादी द्वारा देबीलाल, रामगोपाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये तथा वादी रामलाल स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजात पर प्रदर्श लगाये गये एवं बहस अभिभाष वादी सुनी गया जिसमें अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों दोहराते हुए प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं अन्य दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं अन्य रेकार्ड आधार कार्ड– प्रदर्श 1, पहचान पत्र– प्रदर्श 2, राशन कार्ड– प्रदर्श 3 एवं ग्राम पंचायत फुलिया खुर्द द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

–:: **आदेश** ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाके ग्राम फूलिया खुर्द पटवार हल्का फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा की जामबंदी संवत् 2076 से 2078 खाता सं. 205 आराजी सं. 387 रकबा 0.66 है0, 388 रकबा 0.60 है0 किता 2 रकबा 1.26 है0, खाता सं. 183 आराजी नम्बर 1591 रकबा 0.05 है0 किता 1 रकबा 0.05 है0, खाता सं. 446 आराजी नम्बर 1372 रकबा 0.09 है0, 1373 रकबा 0.12 है0, 1374 रकबा 0.26 है0, 1390 रकबा 0.08 है0, 2441 रकबा 0.04 है0 किता 5 रकबा 1.15 है0, खाता सं0 429 अराजी नम्बर 1131 रकबा 0.22 है0, 1132 रकबा 0.20 है0, 1178 रकबा 0.13 है0, 1599 रकबा 0.09 है0, 2450 रकबा 0.15 है0, 2584 रकबा 0.33 है0, 2593 रकबा 0.09 है0, 2628 रकबा 0.18 है0, 2629 रकबा 0.10 है0, 2630 रकबा 0.08 है0, 2631 रकबा 0.17 है0, 2658 रकबा 0.08 है0, 2859 रकबा 0.10 है0, 2862 रकबा 0.11 है0, 2863 रकबा 0.22 है0, 2876 रकबा 0.46 है0, 2877 रकबा 0.48 है0, 711 रकबा 1.20 है0, 908 रकबा 0.29 है0, 927 रकबा 0.20 है0 रकबा 20 रकबा 4.88 है0 में वादी रामलाल पुत्र भैरू लाल चमार को साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर सहखातेदार के रूप में दर्ज वादी का नाम मिश्री पुत्र भैरू चमार के स्थान पर रामलाल पुत्र भैरू चमार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इंद्राज यथावत रहगें। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

रामलाल बैरवा पुत्र भैरूलाल चमार निवासी फुलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
– वादी

बनाम

1. तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा
2. देबीलाल पुत्र भैरूलाल चमार निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा
3. रामगोपाल पुत्र भैरूलाल चमार निवासी फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धार 88–89 आरटीए

मुकदमा नम्बर 61 सन् 2021 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम फूलिया खुर्द पटवार हल्का फूलिया खुर्द तहसील शाहपुरा की जामबंदी संवत् 2076 से 2078 खाता सं. 205 आराजी सं. 387 रकबा 0.66 है0, 388 रकबा 0.60 है0 किता 2 रकबा 1.26 है0, खाता सं. 183 आराजी नम्बर 1591 रकबा 0.05 है0 किता 1 रकबा 0.05 है0, खाता सं. 446 आराजी नम्बर 1372 रकबा 0.09 है0, 1373 रकबा 0.12 है0, 1374 रकबा 0.26 है0, 1390 रकबा 0.08 है0, 2441 रकबा 0.04 है0 किता 5 रकबा 1.15 है0, खाता सं0 429 अराजी नम्बर 1131 रकबा 0.22 है0, 1132 रकबा 0.20 है0, 1178 रकबा 0.13 है0, 1599 रकबा 0.09 है0, 2450 रकबा 0.15 है0, 2584 रकबा 0.33 है0, 2593 रकबा 0.09 है0, 2628 रकबा 0.18 है0, 2629 रकबा 0.10 है0, 2630 रकबा 0.08 है0, 2631 रकबा 0.17 है0, 2658 रकबा 0.08 है0, 2859 रकबा 0.10 है0, 2862 रकबा 0.11 है0, 2863 रकबा 0.22 है0, 2876 रकबा 0.46 है0, 2877 रकबा 0.48 है0, 711 रकबा 1.20 है0, 908 रकबा 0.29 है0, 927 रकबा 0.20 है0 रकबा 20 रकबा 4.88 है0 में वादी रामलाल पुत्र भैरू लाल चमार को साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर सहखातेदार के रूप में दर्ज वादी का नाम मिश्री पुत्र भेरू चमार के स्थान पर रामलाल पुत्र भेरू चमार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इंद्राज यथावत रहगें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 28 माह 02 सन् 2024** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा